

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा- माध्य/खेलकूद-4/35651/समर कैम्प/2024-25/

दिनांक :

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा।

विषय : ग्रीष्मावकाश 2024 के दौरान खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने बाबत।

सत्र 2024-25 के ग्रीष्मावकाश में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जाएगा जिसके लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

01. प्रत्येक जिले के एक लोकप्रिय विद्यालयी खेल (छात्र-छात्रा) के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किसी विद्यालय में करावें, जहां सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था हो, उक्त प्रशिक्षण शिविर हेतु सम्मिलित किए जाने वाले खेल में खिलाड़ी छात्र-छात्राओं की संख्या नियमानुसार हो।
02. शिविर आयोजन हेतु समस्त व्यय प्रत्येक जिले की संग्रहित खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से शिक्षा विभागीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएँ, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ आयोजन-नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 के पृष्ठ 31-32 पैरा 12 एवं संशोधन आदेश क्रमांक : शिविरा/मा. /खेलकूद/निजी/35427/2005-06/133 दिनांक: 14.10.2008 के अनुसार किया जाए, जिसके अंतर्गत शिविर हेतु निम्नानुसार प्रावधान सुनिश्चित किया जावे :-
  - (अ) खिलाड़ी के विद्यालय से शिविर आयोजक विद्यालय तक जाने-आने का रेल/बस का रियायती दर से किराया।
  - (ब) दैनिक भत्ता 100 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी (स्थानीय खिलाड़ियों सहित)
  - (स) गणवेश हेतु 200 रुपये प्रति खिलाड़ी।
  - (द) उपकरण क्रय हेतु खेल/खिलाड़ियों की संख्यानुसार अधिकतम 3000/- रुपये
  - (य) विविध व्यय : आवश्यकतानुसार अधिकतम 1000/- रुपये

**नोट : उक्त समस्त प्रावधान खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली 2005 में उल्लेखित समिति के निर्णयपरांत किये जावे जिसका अंकेक्षण शिविर समाप्ति के पश्चात् आपके अधीनस्थ कार्यरत लेखाकारिक द्वारा किया जावें।**

03. शिविर में जिले के संबंधित खेल के विद्यालयी राष्ट्रीय व राज्य स्तर के खिलाड़ियों को वरीयतानुसार सम्मिलित किया जाए।
04. शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ी 01.01.2024 को 18 वर्ष से कम आयु के एवं कक्षा 6 से 11 उत्तीर्ण तक के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो।
05. शिविर 15 दिवसीय हो तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर की ओर से आयोज्य प्रशिक्षण शिविर की तिथि प्राप्त होने पर इस तिथियों को छोड़ते हुये कैम्प का निर्धारण एवं आयोजन किया जायेगा।
06. **15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर के अलावा किसी भी प्रकार के खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन न करवाया जावे।**

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अपने जिले के ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर आयोजन की तिथियां, आयोजक विद्यालय व खेल आदि का निर्धारण कर पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में ईमेल आईडी sec.sportsbkn@yahoo.com पर प्रेषित करें। शिविर आयोजन के व्यय का अंकेक्षण करा लिये जाने का प्रमाण पत्र व शिविर संबंधी सम्पूर्ण प्रतिवेदन शिविर समाप्ति के सात दिवस में आप द्वारा एवं आपके अधीनस्थ कार्यरत लेखाकारिक द्वारा प्रमाणित करवाकर ही इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। सीधे आयोजक विद्यालय द्वारा प्रतिवेदन भेजे जाने पर विभाग में स्वीकार्य नहीं होंगे एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

**विशेष : प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाए।**

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

RajKaj Ref  
6940711

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन अपने परिक्षेत्र के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा आगामी ग्रीष्मावकाश में किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।